2020/0001

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 4/2020 (अपील)

उनवान

छीतरलाल पुत्र पीरू खां जाति मुसलमान निवासी नृसिंहपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी सुल्तानपुर वन मण्डल कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :— 1. श्री तेजसिंह धाबाई (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री गोविन्द सिंह (राजकीय अभिभाषक)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी, निर्णय दिनांक 19.12.2019 मिसल नम्बर 27/2019 न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सुल्तानपुर, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 29.01.2020

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं न्याय तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को ग्राम नृसिंहपुरा तहसील दीगोद के ख0 नं0 120 रकबा 0.32 हैक्टर भूमि अतिक्रमण करने पर निर्णय दिनांक 19.12.2019 से शास्ति 320/-रूपये एवजाना राशि रूपये 20000/-रूपये योग 20320/-रूपये एवं तीन माह का साधारण कारावास से दण्डित करने मे त्रुटि की है जो निरस्तनीय है । अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही है, पूर्व मे ही अपीलांट ने कब्जा छोड दिया था । वर्तमान मे वह अपने खाते काश्त की आराजी पर क़ाश्त कर रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी सुल्तानपुर की झूठी असत्य रिपोर्ट को ही आधार मानकर बिना अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया । अपीलान्ट के विरूद्व जुर्माना राशि भी मनमाने रूप से अत्यधिक अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपित की है जबकि अपीलांट गरीब काश्तकार है उक्त जुर्माना राशि जमा कराने मे असमर्थ है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.12.2019 को अपास्त करने का निवेदन किया गया ।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी सुल्तानपुर की झूठी असत्य रिपोर्ट को ही आधार मानकर बिना अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही है, पूर्व मे ही अपीलांट ने कब्जा छोड दिया था । वर्तमान मे वह अपने खाते काश्त की आराजी पर काश्त कर रहा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.12.2019 को अपास्त करने का निवेदन किया गया ।

5. . राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस में कथन किया है कि अपीलाण्ट द्वारा वनभूमि पर कब्जा किया है। अपीलाण्ट को उक्त अतिक्रमित आराजी से पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न क्षेत्रीय वन अधिकारी सुल्तानपुर की रिपोर्ट मे मिसल नं0 22/17 निर्णय दि0 29.11.2017 व अपीलान्ट छीतरलाल के बयान दिनांक 19.12.2019 से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिकमण किया है।

7. अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते परन्तु चूंकि अपीलान्ट के कथनानुसार उसके द्वारा भूमि पर कब्जा छोडना अंकित किया है । अतः नरम रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट आंक्षिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट द्वारा राशि जमा कराने व कब्जा हटाने के संबंध में अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमित आराजी से वास्तविक रूप से मौके से कब्जा हटा लिया है एवं भविष्य मे पुनः अतिक्रमण नही करेगा के संबंध मे अधिनस्थ न्यायालय मे 15 दिवस मे शपथ पत्र पेश करने तथा कब्जा हटाने की व राशि जमा कराने की पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा करने की शर्त पर सजा निरस्त की जाती है । अन्यथा सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रभावी रहेगा ।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा